

From: "S.K. Gupta, Secretary" <secretary@traigov.in>
Date: 16 September 2019 at 11:23:00 AM IST
To: arvind <arvind@gov.in>
Cc: TV Subscribers <das@traigov.in>
Subject: Fwd: Fwd:
Reply-To: secretary@traigov.in

----- Original Message -----

From: "Chairman, TRAI TRAI" <cp@traigov.in>
Date: Sep 13, 2019 10:46:25 AM
Subject: Fwd:
To: secretary@traigov.in

----- Original Message -----

From: Noor Bhai <noorbhai322@gmail.com>
Date: Sep 12, 2019 7:52:30 PM
Subject:
To: cp@traigov.in

अध्यक्ष श्री. आर.एस. शर्माजी
 टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया
 जवाहर लाल नेहरू मार्ग
 नई दिल्ली 110002

विषय (टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 से सम्बंधित)

महोदय

आप केबल टीवी बिज़नेस से अच्छी तरह से वाकिफ है . केबल टीवी उपभोक्ता एक मीडिल क्लास फैमिली होती है जिसका एकमात्र मनोरंजन का सस्ता साधन हो सकता है उस के लिए कुछ बदलाव करना आवश्यक है.

1. पे चैनल सभी अला कार्टे में उपलब्ध हो जिस के एमआरपी 5 ₹ से ज्यादा ना हो ।। DAS के पहले जिसे तरह CAS में प्रवधान था वैसे ..

2. ब्रॉडकास्टर अगर पैकेज बना कर अगर देना चाहता हो तो उस मे चैनल की संख्या निर्धारित की जाए और एमआरपी 20 ₹ से ज्यादा ना हो.. 3. ब्रॉडकास्टर एमआरपी प्राइस पे केबल ऑपरेटर का भी शेयरिंग फिक्स करे इस लिए के ओ ही कस्टमर को सर्विसेस देता है उस का उस मे सब से बड़ा योगदान है MSO सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड करता है कस्टमर को सर्विस देना चैनल के बारे में जानकारी देना उसकी मार्किटिंग करना यह सब ओ ही करता है इस लिए उसका प्रवधान होना आवश्यक है केबल ऑपरेटर काफी तकिलफ में ।। MSO 20%डिस्काउंट में से 10% देता है पर इस से कुछ नही होता उसका खर्चा बहुत ज्यादा है यह सब से इम्पोर्टन है केबल ऑपरेटर रहेंगे तो ही केबल टीवी सर्विस रहेंगी ।।।

3. ब्रॉडकास्टर द्वारा एमआरपी पे दी जा रही छूट होनी नही चाहिए अगर होती है तो उस का फायदा कस्टमर और केबल ऑपरेटर को भी हो ..

5.100 चैनल फ्री टू एयर नेट वर्क कैपेसिटी फी ₹ 130 ये केबल ऑपरेटर को मिलनी चाहिए ।। यह उस का अधिकार है ।। MSO कैरिज फी प्लेसमेंट फी और बहुत कुछ आपने पास रखता है इस लिए केबल ऑपरेटर का अधिकार हो ।। उस ही तरह से NCF में DTH MSO किसी को भी छूट देने का अधिकार नही होना चाहिए ।।

4. उस ही तरह से दूसरे NCF भी 50 चैनल पे ₹ 20 होने चाहिए और 2 NCF से ज्यादा ना हो .
 5. कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म । MSO कस्टमर की पूरी जानकारी ले लेता है जिस में मोबाइल नंबर भी होता है यह सारी डिटेल किसी और के पास भी जाती है और कस्टमर को मार्किटिंग के कॉल आने शुरू हो जाते है ।। इस पर भी कोई ऐसा परविधान होना चाहिये के जिस से कस्टमर की प्राइवेसी बनी रहे . उस की जानकारी सुरक्षित रहे यह होना भी आवश्यक है..
 6. सेट टॉप बॉक्स की सर्विस क्वालिटी यह भी आछी होनी चाहिए। थर्ड पार्टि जो msO अपॉइंटमेंट करते हैं ओ कैबल ऑपरेटर के साथ मील कर सेट टॉप बॉक्स में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं MSO डिपॉजिट के एवज में 350 से 400 ₹ में दे रहा और यह लोग 1200 से 1500 में देते है 5 से 6 मंथ बाद खराब होने पे सर्विस भी नहीं देते।
 7. CAS रूल रेगुलेशन जैसा कुछ हो तो कस्टमर का फायदा होंगा.
 - 8.कस्टमर को हो सके उतना सस्ता देने की कोशिश होनी चाहिए इस के लिये मोनोपोली लागू होती है तो भी बहोत से फायदा होंगा कॉम्पटीशन में हर कोई सस्ते में देंगा सर्विस।।। कस्टमर को आपने मनमुताबिक सस्ते दामों में मनोरंजन उपलब्ध हो सकता है।।।।
- इस बात पे विचार कर के कोई निर्णय ले और DAS एक्ट में हो सके तो बदलाव करने की कोशिश करे।
धन्यवाद।

नूर भाई (S. K. Shaikh)
नाशिक ज़िला केबल ऑपरेटर एसोसिएशन . फाउंडर प्रेसिडेंट।

सुपर डिजिटल सर्विसेज , 3704 बगवानपुरा , नाशिक 422001
email noorbhai322@gmail.com mobile 8329206466

